पत्र सख्या-स्था-6सामान्य दिव्यागजन-135(भाग-2)/2025-26/ 4525 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 18 दिसम्बर, 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त,राज्य कर,
उत्तर प्रदेश(जोन-गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद-द्वितीय,
लखनऊ-प्रथम, कानपुर-प्रथम को छोडकर)।

विषय:- कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार न किया जाने सम्बन्धी ।

कृपया उपर्युक्त विषयक चिकित्सा अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2534/पांच-7-2025 दिनांक 09.12.2025(**छायाप्रति संलग्न**) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा समाज में कुष्ठ रोग (हेन्सन रोग) के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियॉ फैली होने के कारण कुष्ठ रोगियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार होने की संभावना बनी रहने के कारण कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार न किया जाने सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त के क्रम में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 09.12.2025 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि(विभागीय वेबसाइड पर)।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 17-12-2025
17:30:17

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 अपर आयुक्त, राज्य कर, जोन-गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद-द्वितीय, लखनऊ-प्रथम व कानपुर-प्रथम को शासनादेश दिनांक 09.12.2025 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराने का कष्ट करें।

2 अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।

3 संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।

4 नाजिर, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

संलग्नक:-यथोपरि(विभागीय वेबसाइड पर)।

Digitally signed by
RAVI SHEKHAR SINGH
Date: 17-12-2025
18:30:14

(रवि शेखर सिंह)
संयुक्त आयुक्त(स्था0अराज0),
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

9047

श्री/श्रीमती पूर्णिमा ....
कृपया ... कार्यवाही करें।

उपायुक्त (स्था०) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ
दिनांक 18-12-25

अति महत्वपूर्ण

संख्या:- 2534 /पांच-7-2025

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव

उ0प्र0 शासन।

चिकित्सा अनुभाग-7 | लखनऊ: दिनांक 09 दिसम्बर, 2025

विषय:- कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार न किया जाना।

महोदय,

समाज में कुष्ठ रोग (हैन्सन रोग) के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ फैली होने के कारण कुष्ठ रोगियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार होने की संभावना बनी रहती है। इस कारण कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सालयों में जाकर इलाज कराने में असहजता संभावित है। उपचार में विलम्ब होने के कारण विकलांगता हो सकती है; कुष्ठ जनित विकलांगता के कारण कुष्ठ रोगियों को पारिवारिक एक सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।

2- कुष्ठ रोग (हैन्सन रोग) एक बैक्टीरिया जनित रोग है, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। यह एक संक्रामक रोग है, जिसकी संक्रामकता बहुत कम है; यह छुआछूत की बीमारी नहीं है। कुष्ठ रोग की जाँच एवं उपचार हेतु वर्ष 1983 से संचालित मल्टी ड्रग थेरेपी (एम0डी0टी0) रेजीमेन के कारण कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति नियमित उपचार से रोग मुक्त होकर पूर्णतया स्वस्थ हो जाता है। कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति को एम0डी0टी0 की पहली खुराक खिलाने के पश्चात ही **99.9 प्रतिशत** बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इस कारण कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकता है। ससमय इलाज लेने से विकलांगता को पूर्णतया रोका जा सकता है। एम0डी0टी0 रेजीमन के कारण कुष्ठ रोगियों की संख्या एवं विकलांगता में गिरावट आई है।

3- अत: उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि :-

(1) विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए।

(2) कुष्ठ रोगियों से सामान्य व्यक्तियों की भांति ही व्यवहार करते हुये विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए।

(3) कुष्ठ रोगियों के किसी भी सरकारी कार्यालय में सार्वजनिक पद के लिए मनोनीत, चयनित या निर्वाचित होने पर कोई भेदभाव न हो।

(4) किसी भी कुष्ठ रोगी को उनके रोग के कारण सार्वजनिक कार्यालय या रोजगार से न हटाया जाए।

(5) कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न किया जाए।

J C/DLO 6 अनुभाग
अपर निर्युक्त (प्रथा)
10-12-2025
450

(6) स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम मे सम्मिलित कर जागरूक किया जाए कि कुष्ठरोग पूर्णतः साध्य है तथा छुआछूत का रोग नहीं है।

(7) कुष्ठ से प्रभावित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए सामाजिक विकास में उनकी भागीदारी एवं योगदान सुनिश्चित कराया जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0पी0 गोयल)

मुख्य सचिव।

संख्याः- 2534-(1)/पांच-7-2025 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

3- प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशों का प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

09.12.2005

(अमित कुमार घोष)

अपर मुख्य सचिव।